पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 09 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक- 12.04.2024

दिनांक 11/12.04.2024 को थाना महिगवां 01, चिनहट 01, मडियांव 03, दुबग्गा 03, कृष्णानगर 01, अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 09 अभियुक्त गिरफ्तार।

डी0सी0पी0दक्षिणी

अवैध शराब के साथ गिरफ्तार।

थाना मोहनलालगंज:- दिनांक 11.04.2024 को एस0आई0 श्री अनूप कुमार सिंह थाना मोहनलालगंज द्वारा दौराने गस्त मय हमराही फोर्स के अभियुक्त 01-मुकेश पुत्र लाल बहादुर निवासी पचौरी थाना मोहनलालगंज जनपद लखनऊ उम्र करीब 32 वर्ष को सर्वजानिक स्थान पचौरी बाजार से गली में मोहनलालगंज लखनऊ से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक प्लास्टिक की पिपिया में 05 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना मोहनलालगंज पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

थाना नगराम:- दिनांक 11.04.2024 को एस0आई0 श्री राजकपूर यादव थाना नगराम द्वारा दौराने गस्त मय हमराही महिला आरक्षी फोर्स के अभियुक्ता 01-राधा पत्नी आयोध्या प्रसाद नि0 नौवाखेड़ा मजरा विचलिका थाना नगराम लखनऊ को सर्वजानिक स्थान ग्राम नउवा खेडा मोड के पास थाना नगराम लखनऊ से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक प्लास्टिक की पिपिया में 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना नगराम पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

3(1) उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 की कार्यवाही-

थाना कृष्णानगर:- दिनांक-11.04.2024 को थाना कृष्णानगर द्वारा बताया गया कि प्रभारी निरीक्षक श्री संजय कुमार सिंह द्वारा दौराने चेकिंग व आगामी लोकसभा चुनाव-2024 के मद्देनजर अभियुक्त 01. अभिषेक दास पुत्र जान ललित दास निवासी विश्वेश्वर नगर थाना कृष्णानगर लखनऊ उम्र 31 वर्ष, के विरुद्ध थाना कृष्णानगर पर धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 की कार्यवाही की गई। उपरोक्त का संगठित अपराधिक गिरोह है, जो अपने व अपने गैंग के सदस्यों के साथ आर्थिक, भौतिक एवं दुनियावी लाभ के लिए लोक व्यवस्था छिन्न भिन्न जैसे अपराध कारित करते हैं। उक्त अभियुक्त दबंग, मनबढ़ व गुण्डा दुस्साहसिक प्रवृति का व्यक्ति है।

110 (जी) सीआरपीसी की कार्यवाही-

थाना कृष्णानगर:- दिनांक-11.04.2024 को थाना कृष्णानगर द्वारा बताया गया कि प्रभारी निरीक्षक श्री संजय कुमार सिंह द्वारा दौराने चेकिंग व आगामी लोकसभा चुनाव-2024 के मद्देनजर अभियुक्त 1. हेमन्त सिंह पुत्र जगनरायन सिंह निवासी एल0डी0ए0 कालोनी थाना कृष्णानगर लखनऊ उम्र करीब 43 वर्ष, 2. सोभित भटिया पुत्र कुलदीप भाटिया निवासी एल0डी0ए0 कालोनी थाना कृष्णानगर लखनऊ उम्र करीब 35 वर्ष, 3. विकास अस्थाना पुत्र चन्द्र प्रकाश अस्थाना निवासी मानसनगर आशा बापू रोड़ थाना कृष्णानगर लखनऊ उम्र करीब 43 वर्ष, जोकि दबंग, मनबढ़ व दुस्साहसिक प्रवृति का व्यक्ति हैं जिस कारण आम जनता में भय व्याप्त है। अभियुक्तगणों उपरोक्त के विरुद्ध थाना कृष्णानगर पर धारा 110 (जी) सीआरपीसी की कार्यवाही की गई।

3(1) उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 की कार्यवाही-

थाना बन्थरा:- दिनांक-11.04.2024 को थाना बन्थरा द्वारा बताया गया कि प्रभारी निरीक्षक श्री हेमन्त कुमार राघव द्वारा दौराने चेकिंग व आगामी लोकसभा चुनाव-2024 के मद्देनजर अभियुक्त 01. अमरीश सिंह पुत्र जगदीश्वर सिंह निवासी गढ़ी चुनौटी थाना बन्थरा लखनऊ उम्र 46 वर्ष, 02. अनुराग गौतम पुत्र शिव शंकर गौतम निवासी गढ़ी चुनौटी थाना बन्थरा लखनऊ उम्र 30 वर्ष के विरुद्ध थाना बन्थरा पर धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 की कार्यवाही की गई। उपरोक्त का संगठित अपराधिक गिरोह है, जो अपने व अपने गैंग के सदस्यों के साथ आर्थिक, भौतिक एवं दुनियावी लाभ के लिए लोक व्यवस्था छिन्न भिन्न जैसे अपराध कारित करते हैं। उक्त अभियुक्त दबंग, मनबढ़ व गुण्डा दुस्साहसिक प्रवृति का व्यक्ति है।

110 (जी) सीआरपीसी की कार्यवाही-

थाना बिजनौर:- दिनांक-11.04.2024 को थाना बिजनौर द्वारा बताया गया कि प्रभारी निरीक्षक श्री अरविन्द कुमार राणा द्वारा दौराने चेकिंग व आगामी लोकसभा चुनाव-2024 के मद्देनजर अभियुक्त 1. सुखदीप नाथ पुत्र विजयनाथ निवासी ग्राम गांधीनगर माती थाना बिजनौर लखनऊ उम्र करीब 30 वर्ष, 2. आकाश कुमार राजपूत पुत्र शिवराम लोधी उर्फ झूरी निवासी ग्राम मुल्लाहीखेड़ा थाना बिजनौर लखनऊ उम्र करीब 22 वर्ष, 3. अनुराग लोधी पुत्र राजेन्द्र लोधी निवासी ग्राम मुल्लाहीखेडा थाना बिजनौर लखनऊ उम्र करीब 21 वर्ष, 4. प्रवेश पुत्र चुन्नीलाल निवासी ग्राम परवर पश्चिम मोहनलालगंज थाना बिजनौर लखनऊ उम्र 30 वर्ष, 5. उमेश पुत्र चुन्नीलाल निवासी ग्राम परवर पश्चिम मोहनलालगंज लखनऊ उम्र 25 वर्ष, 6. सर्वेश पुत्र चुन्नीलाल निवासी ग्राम परवर पश्चिम मोहनलालगंज थाना बिजनौर लखनऊ उम्र 24 वर्ष, 7. हरिकेश कुमार पुत्र चुन्नीलाल निवासी ग्राम परवर पश्चिम मोहनलालगंज थाना बिजनौर लखनऊ उम्र 30 वर्ष, जोकि दबंग, मनबढ़ व दुस्साहसिक प्रवृति का व्यक्ति हैं जिस कारण आम जनता में भय व्याप्त है। अभियुक्तगणों उपरोक्त के विरुद्ध थाना बिजनौर पर धारा 110 (जी) सीआरपीसी की कार्यवाही की गई।

डी0सी0पी0 मध्य

3(1) उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 की कार्यवाही-

थाना हसनगंज:- दिनांक-11.04.2024 को प्रभारी निरीक्षक श्री बृजेश कुमार सिंह थाना हसनगंज द्वारा अभियुक्त 1-राहुल गिहार पुत्र श्याम सुन्दर गिहार निवासी 488/55 हवेलिया कालोनी डालीगंज थाना हसनगंज लखनऊ के विरुद्ध धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्त द्वारा आर्थिक, भौतिक एवं दुनियावी लाभ के लिए लोक व्यवस्था छिन्न भिन्न जैसे अपराध कारित करते हैं। उक्त अभियुक्त दबंग, मनबढ़ व गुण्डा दुस्साहसिक प्रवृति का व्यक्ति है।

डी0सी0पी0 उत्तरी

110 (जी) सीआरपीसी की कार्यवाही-

थाना सैरपुर:- दिनांक11.04.2024 को प्रभारी निरीक्षक श्री जितेन्द्र कुमार गुप्ता थाना सैरपुर द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव-2024 के दृष्टिगत अभियुक्त 1. राम भरोसे पुत्र हीरालाल निवासी ग्राम भुड़पुरवा थाना सैरपुर लखनऊ उम्र करीब 38 वर्ष, 2. अमित पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम भुड़पुरवा थाना सैरपुर लखनऊ उम्र करीब 25 वर्ष, 3. अंकित पुत्र राम गोपाल निवासी ग्राम भुड़पुरवा थाना सैरपुर लखनऊ उम्र करीब 25 वर्ष, 4. नीरज पुत्र लल्लू निवासी ग्राम खटैया थाना सैरपुर लखनऊ उम्र 26 वर्ष, 5. सुरेश पुत्र दुनियापति निवासी ग्राम नरहरपुर थाना सैरपुर लखनऊ उम्र 45 वर्ष, उपरोक्त अभियुक्त जो कि दबंग, मनबढ़ व दुस्साहसिक प्रवृति का व्यक्ति हैं, जिस कारण आम जनता में भय व्याप्त है। अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना सैरपुर पर धारा 110 (जी) सीआरपीसी की कार्यवाही की गई।